दिनांक 11.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 16 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तमिलनाडु (सेवानिवृत्त आई0पी0एस0) से शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से आज दिनांकः 11.11.2024 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में मो0 शकील अख्तर, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तमिलनाडु (सेवानिवृत्त आई0पी0एस0) द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मुलाकात के दौरान प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया।

मो0 शकील अख्तर तमिलनाडु कैडर के 1989 बैच के सेवानिवृत्ति आईपीएस अधिकारी हैं तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदो पर कार्यरत रहे है। मो0 शकील अख्तर को वीरता एवं सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। सेवानिवृत्त होने के उपरान्त वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं।

दिनांक 11.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 17/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुस्तक विमोचन समारोह

आज दिनॉकः 11.11.2024 को पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ में पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एटीएस लखनऊ में नियुक्त निरीक्षक श्री संतोष तिवारी 'कौशिल' की पुस्तक **''ये जरूरी तो नहीं''** का विमोचन किया गया। पुस्तक का लोकापर्ण मुख्य अतिथि श्री असीम अरूण मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण उ0प्र0 सरकार एवं श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा किया गया।

उक्त कार्यक्रम का शुभारम्भ **श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** एवं **मुख्य अतिथि श्री असीम अरूण, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण, उ0प्र0 सरकार** द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0** ने पुस्तक के लेखक श्री संतोष तिवारी 'कौशिल' को उनकी इस प्रतिभा के लिए शुभकामनाएं दी तथा कहा कि पुलिस विभाग में रहते हुए साहित्य का सृजन थोड़ा जटिल है लेकिन अगर व्यक्ति में संवेदनशीलता है तो वह अवश्य ही साहित्य सृजन भी कर सकता है। श्री संतोष तिवारी 'कौशिल' का राजकीय कार्य करते हुए पुस्तक लिखना एक सराहनीय कार्य है। उन्होंने सभागार में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों एवं सम्माानित जन को धन्यवाद दिया।

मुख्य अतिथि मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), समाज कल्याण, उ0प्र0 सरकार ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आकर आज मुझे बहुत अच्छा लगा तथा निरीक्षक श्री संतोष तिवारी 'कौशिल' को बधाई देते हुए उनकी पुस्तक की कुछ रचनाओं को अपने वक्तव्य में शामिल भी किया। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा निरीक्षक श्री संतोष तिवारी की पूर्व में नियुक्ति के दौरान अपने संस्मरण साझा करते हुए इनके कार्यो की सराहना करते हुये उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर श्री प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, डॉ0 एन0 रविन्दर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, डॉ0 जी0के0 गोस्वामी निदेशक यू0पी0एस0आई0एफ0एस0, श्री एन चौधरी आईजी एटीएस, श्री राजीव मलहोत्रा डीआईजी यू0पी0एस0आई0एफ0एस0 सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में लेखक श्री संतोष तिवारी द्वारा सभागार में उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि यह तीसरी पुस्तक है इसके पूर्व एक कृति ''मेमसाब'' राज्य सरकार से अमृतलाल नागर पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी है।

कार्यक्रम - स्थल
+91-9453305100

दिनांक 11.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 18/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सीतापुर/थाना तालगॉव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 11.11.2024 को थाना तालगॉव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परसेण्डी मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरविन्द कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तालगॉव पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद सीतापुर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तालगॉव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अरविन्द कुमार निवासी जलालपुर न्योरी थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर हालपता–के0आर0पुरम थाना चकेरी, कानपुर नगर।

जनपद कन्नौज/थाना तिर्वा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट के 04 हजार 700 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 11.11.2024 को थाना तिर्वा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भगतपुर्वा से पन्नापुर्वा जाने वाले मार्ग से 02 अभियुक्तों

1–नाजिम उर्फ शशी 2–आमिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट के 04 हजार 700 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25/26.10.2024 को थाना तिर्वा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिर्वा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना तिर्वा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नाजिम उर्फ शशी निवासी चिमियावली थाना कोतवाली सम्भल, हालपता लुनियावास थाना खोह नागोरियान जनपद जयपुर राजस्थान।

2–आमिर निवासी सांगानेर थाना सांगानेर सदर जनपद जयपुर राजस्थान, मूलपता चिमियावली थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट के 04 हजार 700 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना जलालाबाद</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 35 किलोग्राम विद्युत तार आदि बरामद**

दिनांक 10.11.2024 को थाना जलालाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–आलोक उर्फ पिन्टू 2–धर्मेन्द्र उर्फ गटूरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 35 किलोग्राम विद्युत तार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आलोक उर्फ पिन्टू निवासी ग्राम सालपुर नवदिया थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

2—धर्मेन्द्र उर्फ गटूरी निवासी ग्राम सालपुर नवदिया थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 35 किलोग्राम विद्युत तार आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना ठाकुरगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **21 हजार 700 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 11.11.2024 को थाना ठाकुरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पत्थरकटा तिराहा के पास से अभियुक्त शमशाद अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण, 21 हजार 700 रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमशाद अहमद निवासी भीखम खाँ थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—लगभग 12 लाख रूपये कीमत के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—21 हजार 700 रूपये नगद।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना महोली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना महोली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विजय कान्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सरांय अकिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सरांय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शहंशाह को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।